संख्या- 27/1102 /22-4-14-48(42)/12

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 09दिसम्बर,2014

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2661/नम-2, दिनांक- 02-01-2014 एवं पत्र संख्या- 23088/नम-2, दिनांक 14-08-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, बरेली में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) एवं अन्य सम्बद्व कार्यों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को नामित करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू0 8,23,49,000/-(रूपाय आठ करोड़ तेईस लाख उनचास हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष् 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,00,00,000/-(रूपया दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2015 तक कर लिया जायेगा तथा भौतिक/वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्यके माह उपलब्ध कराई जाय तथा निर्माण कार्य दिनांक 30-06-2015 तक पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त- पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त स्वीकृति नहीं की जायेगी। उक्त कार्य की भविष्य में अन्य योजनाओं मे पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अनुमोदित लागत में 05 वर्षों के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य हेतु रू0 55.70 लाख लागत अनुमन्य की गयी है, जिसका क्रियान्वयन कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित है। इस का भुगतान कार्यदायी संस्था को तभी किया जाय जब व अनुरक्षण एवं संचालन हेतु महानिरीक्षक कारागार से अनुमन्य करा ले।

(11) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं आवश्यकतानुसार क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा तीन माह के अन्दर समीति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद मे पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(13) प्रथम किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लेने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(14) लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य -051-निर्माण-04- कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आशसकीय संख्या-ई-12-1847/दस-2014, दिनांक-08 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-27/1102(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, बरेली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in